जोधपुर • शनिवार • 6 सितम्बर, 2008
राजस्थान पत्रिका
3

पुरी भाइयों की जायदाद के बंटवारे का मामला

नीलामी से ही होगा सम्पत्ति विवाद का निपटारा

जोधपुर, 5 सितम्बर (कासं)

बंटवारे के विवाद में एक परिवार की करोड़ों रुपए की सम्पत्ति को नीलाम करने के राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश नारायण रॉय एवं न्यायाधीश अरविन्द मोहनलाल कपाड़िया की खण्डपीठ ने खारिज कर दी।

न्यायालय के इस आदेश के साथ ही सरदारपुरा स्थित एक नामी रेस्टोरेंट सहित सोजती गेट एवं शहर के अन्य इलाकों में स्थित पुरी भाइयों की बेशकीमती जमीन की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। खण्डपीठ ने अपने निर्णय में एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ इन्ट्रा कोर्ट अपील की आवश्यकता महसूस नहीं की। उल्लेखनीय है कि करीब चार दशक पहले 1965 में शंकरपुरी ने अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति के विभाजन के लिए दावा पेश किया था। गत 23 मई को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने इस विवाद के सुलटारे के लिए जायदाद की नीलामी के आदेश दिए थे। इसके लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में नीलामी समिति का भी गठन किया गया था। इस निर्णय के खिलाफ लालपुरी के कायम मुकाम योगेन्द्र पुरी वगैराह ने खण्डपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की थी। इस दौरान अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता व सज्जनसिंह तथा प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता गोपालराज सिंघवी, प्रमेन्द्र पुरी एवं अशोक छंगाणी ने पैरवी की।